

फॉर्म अहकाम
(नियम-26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट गोविन्दगढ़ (अलवर) राज.

प्रकरण सं. Y165/21. तारीख रजू 21/1/22. /

..... चोतना कुमारी के नाम दिनेश कुमार

तारीख हुगम	हुगम या कार्यवाही मग इनिशियल्स जज	नम्बर 1 तारीख अहकाम जो हुगम जारी हुआ
21/1/22	वकील वादी उपस्थित। यह दावा वकील वादी दिनेश कुमार। उक्त पंजीकृत हो प्रतिवादी गण उक्त मसला नलब हो फलवली दिनांक 13-1-22 को पेश हो	
13/1/22	वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी गण नलब हो फलवली दिनांक 10/3/22 को पेश हो	उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)
10/3/22	वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी गण की नलबी हेतु फलवली दिनांक 7/4/22 को पेश हो	उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)
7/4/22	वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी गण की नलबी हेतु फलवली दिनांक 26/5/22 को पेश हो	उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)
26/5/22	वकील वादी उप/P.O. साहव को पेश हो फलवली दिनांक 23/6/22	उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)

दिनेश कुमार

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

06.11.23

पत्रावली पेश। P.O. साहब.....

..... का कार्य मे चुनाप है।

पत्रावली दिनांक 13.12.23 को पेश हो।



रीडर

13.12.23

वकील वादी अनुपस्थित

साबिक आदेश दिनांक 21.12.23

की पालना में पत्रावली वास्ते तलबी रिजिस्ट्रार से भेजने का
दिनांक 16.12.23 को पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

16/01/24

पत्रावली पेश। P.O. साहब.....

..... का कार्य मे चुनाप है।

पत्रावली दिनांक 08/01/24 को पेश हो।


रीडर

08/2/24

पत्रावली तलबत हुई पत्रावली दीर्घावधि से तलबी
में है। वादी को तलबाना पेश करने हेतु अनेक अवसर
दिये गये। उपरोक्त वादी ने पुन फ्रेब तलबाना
पेश नहीं किया है।

सिविल प्रक्रिया संहिता भांडेश 9 नियम 05 के आलेख
में पत्रावली को चलाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।
अतः पत्रावली सि. प्र. सं. भांडेश 9 नियम 05 के आलेख
में पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली केसल नम्बर
लेकर नम्बर से कम हो। बाह्य तामिल तहमील दाखिल
दफ्तर है।


उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०